प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.08.2026

- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए छिनैती की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से कुल ₹64,800/- (छिनैती की चैन व मंगलसूत्र बिक्री के) बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 22.07.2026 पर थाना भोगनीपुर पर वादिनी श्रीमती विनीता अग्निहोत्री पत्नी श्री राजकुमार अग्निहोत्री, निवासी-राजीव नगर, पुखरायाँ, जनपद कानपुर देहात द्वारा बावत अपाचे बाइक सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा जीजीआईसी रोड सुआ बाबा मन्दिर के पास पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर से वादिनी के गले पर झपट्टा मारकर सोने का मंगलसूत्र छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 249/2026 धारा 304(1) बीएनएस बनाम अपाचे सवार अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

दिनांक 03.08.2026 को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त लवकुश ठाकुर पुत्र स्व0 बच्चू सिंह सेंगर निवासी कुटरा मकनपुर, थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर को ग्राम जैरैलापुर मोड़ के पास थाना क्षेत्र भोगनीपुर से पुलिस हिरासत में लिया गया। पुलिस हिरासत में लिये गये अभियुक्त की तलाशी में कुल ₹64,800/- बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 249/2026 धारा 304(1) में धारा 61(2)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

1. लवकुश ठाकुर उम्र लगभग 27 वर्ष पुत्र स्व0 बच्चू सिंह सेंगर, निवासी कुटरा मकनपुर, थाना सजेती, जनपद कानपुर नगर।

पूछताछ अभियुक्त- अभियुक्त लवकुश ठाकुर ने पूछने पर बताया कि दिनांक 20/06/2026 को मैने अपने 01 साथी के साथ उसकी सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल से अतिथि होटल के पास, थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा क्षेत्र में एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन छीनी थी। जिसको हम लोगों ने बांदा हमीरपुर के बीच रास्ते में एक अज्ञात व्यक्ति को 92,000/ रुपये में बेच दी थी जिसमें से ₹32,000/ मैंने अपने साथी को दे दिए थे, जो यह 60,000/रुपये मेरी जेब से मिले हैं उसी चेन को बेचने से बची धनराशि है। इसके बाद दिनांक 22/07/2026 को मैंने अपने 02 साथियों के साथ मिलकर आपस में यह तय किया कि मैं पुलिस की रेकी करता रहूंगा तथा कोई भी खतरा होने पर इशारा करके बता दूंगा और मेरे दोनों साथी घटना को अंजाम देंगे। पैसों के लालच में मैंने उनकी बात मान ली तथा मैं सुआ बाबा मंदिर के पास खड़े होकर पुलिस की आवाजाही पर निगरानी रखता रहा। इसी दौरान मेरे दोनों साथियों ने एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया। घटना के बाद मुझे मेरे हिस्से के 7,000/-रुपये मिले थे, जिनमें से 4,800/- रुपये अभी शेष बचे हैं, जो मेरी जेब से बरामद हुए हैं बाकी पैसे खर्च हो गये हैं, जब कड़ाई से पूछताछ करते हुए यह पूछा कि मंगलसूत्र किसको बेचा है तो पकडे गये व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि मेरे साथी के द्वारा मंगलसूत्र को बेचकर पैसे का बंटवारा किया गया था मुझे यह जानकारी नहीं है कि उसने वह मंगलसूत्र कहाँ और किसको बेचा है मुझे मेरे हिस्से के पैसे मिल थे। जब अन्य घटनाओं के बारे में पूछा तो पकडे गये व्यक्ति के द्वारा बताया दिनांक 04/06/2026 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर, जनपद बांदा क्षेत्र के रेउना गांव के पास मैंने अपने 01 साथी के साथ एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से एक बैग छीन लिया था, जिसमें एक मोबाइल फोन, 5,000/ रुपये नगद एवं कुछ आवश्यक कागजात थे। पकड़े जाने के डर से हमने मोबाइल फोन एवं कागजात रास्ते में कही फेंक दिए थे तथा 5,000/- रुपये दोनों ने आपस में बांट लिये थे जो खर्च कर लिये हैं।

बरामदगी का विवरण-

1. कब्जे से ₹64,800/-(छिनैती व लूट के सामान के बिक्री के) बरामद।

अभियुक्त लवकुश ठाकुर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 785/2018 धारा 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।
2. मु0अ0सं0 152/2020 धारा 436 भादवि0 थाना सजेती जनपद कानपुर नगर।
3. मु0अ0सं0 205/2020 धारा 201/302/ 34 भादवि0 थाना सजेती जनपद कानपुर नगर।
4. मु0अ0सं0 377/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।
5. मु0अ0सं0 81/2022 धारा 392/411 भादवि0 थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 295/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
7. मु0अ0सं0 440/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।
8. मु0अ0सं0 608/2024 धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट व 109(1)/190/191(2)/191(3)/324(2)/351(2)/
9. 352 बीएनएस थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।
10. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट व 115(2)/3(5)/309(6)/317(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर।
11. मु0अ0सं0 242/2026 धारा 304(ए)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
12. मु0अ0सं0 249/2026 धारा 304(1)/61(2)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री सौरभ सिंह
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार रंजन
3. कां0 1316 रविकान्त
4. कां0 106 सनिल कुमार
5. कां0 534 हर्ष चौधरी